न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 27/2017 जिला दौसा।

1. भजन्या उर्फ भजन लाल उम्र 52 वर्ष
2. बसन्ता उर्फ बसन्ती लाल उम्र 58 वर्ष
3. घीस्या उर्फ घीसा लाल उम्र 44 वर्ष

पुत्रान सुखपाल, जाति मीना, निवासी बन्दडी तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. मूल्या पुत्र छीतर
2. रेवड्या पुत्र छीतर
3. प्रभात्या पुत्र छीतर
4. भगवान सहाय पुत्र रामनिवास
5. जौहरी लाल पुत्र रामनिवास
6. रामफूल पुत्र रामनिवास

समस्त जाति मीना, निवासी बन्दडी तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।

7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।

रेसपोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा दिनांक 10.6.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विनोद कुमार विजय
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री रामावतार प्रजापत

निर्णय

दिनांक – 14.2.2018

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा के निर्णय निंाक 10.6.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मूल्या एवं अन्य द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप जिला कलक्टर, नांगल राजावतान को प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2,3,4 एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी खातेदारी एवं कब्जे कश्त की भूमि ग्रम बन्दडी तहसील नांगल राजावतान में खसरा नम्बर 8 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा (साबिक) स्थित है एवं इसकी खातेदारी छीतर पुत्र काना मीना के नाम दर्ज रिकार्ड थी । खातेदार छीतर के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण रामनिवास, मूल्या, रेवड्या, प्रभात्या पि. छीतर व भजन्या, बसन्ता, घीस्या पि. सुखपाल के नाम दर्ज रिकार्ड है क्योंकि खातेदार छीतर का एक लडका सुखपाल था जिसका देहान्त छीतर की मृत्यु से पूर्व ही हो गया था इसलिये उसके पुत्रों के नाम नामांतरकरण तस्दीक किया गया है । उक्त आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 44, 87, 115, 116, 145, 174, 179, 194, 196, 205, 206, 212, 243/382, 261, 288, 300, 301, 302, 305, 332 कुल किता 20 कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर वाके ग्रम बंदडी में प्रार्थीगण एवं अप्रर्थीगण संख्या 2 से 4 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है परन्तु राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 का हिस्सा दर्ज होने से रह गया । प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हाल जमाबन्दी संवत् 2072–75 , मिलान क्षेत्रफल हाल से साबिक, नकल नामांतरकरण संख्या 17 , सरपंच ग्रम पंचायत हापावास से प्रमाणित पारिवारिक सजरा, जमाबन्दी साबिक सं. 2032 से 35 आदि दस्तावेज पेश किये एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व कैम्प कोर्ट बैंच के समक्ष राजीनामा प्रपत्र–4 एवं आवेदन प्रपत्र–1 बाबत राजीनामा प्रस्तुत किया । प्रपत्र–4 के अनुसार उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति व स्वेच्छा से राजीनामा हो गया है । बाद जॉच राजीनामा प्रपत्र स्वीकार किया एवं बाद

तस्दीक शामिल किया गया एवं तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया । प्रार्थीगण अपने पिता की विरासत के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/5, प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/5 , प्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/5 प्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 का हिस्सा 1/5 एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का हिस्सा 1/5 दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया ।

रेस्पोंडेन्ट मूल्या वगैहरा के उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.6.2016 पारित कर उपलब्ध दस्तावेज , रिकार्ड एवं राजीनामा प्रपत्र के अनुसार ग्रम बन्दडी तहसील नांगल राजावतान के खसरा नम्बर 44, 87, 115, 116, 145, 174, 179, 194, 196, 205, 206, 212, 243/382, 261, 288, 300, 301, 302, 305, 332 कुल किता 20 कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर में से प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/5, प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/5 , प्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/5 प्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 का हिस्सा 1/5 एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का हिस्सा 1/5 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये गये ।

उप खण्ड अधिकारी के उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.6.2016 के खिलाफ मृतक खातेदार छीतर के मृतक पुत्र सुखपाल के पुत्रान अपीलान्ट्स भजन्या, बसन्ता, घीस्या द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान दिनांक 10.6.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की तामिल कराये बिना व अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं थे न ही अपीलान्ट ने कोई राजीनामा किया तथा न ही राजीनामा प्रपत्र पर अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर है । अपीलान्ट भजन्या व घीस्या के फर्जी हस्ताक्षर कर व अपीलान्ट बसन्ता की फर्जी निशानी करके ओर अपीलान्ट की फर्जी आई.डी. बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है , जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि जमाबन्दी में बतौर खातेदार रामनिवास पुत्र छीतर अंकित था, लेकिन रामनिवास के वारिसों के नाम नामांतरकरण नहीं खुला था । रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 6 भगवान सहाय, जौहरी लाल, रामफूल पुत्रान रामनिवास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत करने के समय खातेदार नहीं थे । बिना अधिघोषणा के धारा 136 एल.आर.एक्ट का केस नही चल सकता था । रामनिवास के वारिस उसकी पत्नी बरदी व पुत्रियॅा कमली, गुलाब, बसना, किशनी, गीता भी थी जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 6 को रेकार्डेड खातेदार दर्ज हुये बिना दुरूस्ती का आदेश देकर कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नहीं हुई । दिनांक 9.6.2017 को विवादित भूमि का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने पर जमाबन्दी में लगे अपीलाधीन आदेश के नोट के संबंध में पटवारी हल्का ने बताया कि उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान के निर्णय से उक्त नोट लगा है । इस पर अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 13.6.2017 को प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार छीतर था । खातेदार छीतर के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 6 के पिता रामनिवास पुत्र छीतर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 मूल्या, रेवड़या, प्रभात्या पि. छीतर व छीतर के मृतक पुत्र सुखपाल के पुत्रान अपीलान्ट संख्या 1 से 3 भजन्या बसन्ता, घीस्या पि.

सुखपाल के नाम स्वीकार किया गया था , लेकिन राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों की गलती से हिस्सा दर्ज होने से रह गया । विवादित भूमि में हिस्सा दर्ज कराने हेतु रेस्पोंडेन्ट मूल्या वगैहरा द्वारा एक प्रार्थना पात्र धारा 136 एल.आर.एक्ट न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान के समक्ष मय हाल जमाबन्दी संवत् 2072–75 , मिलान क्षेत्रफल हाल से साबिक, नकल नामांतरकरण संख्या 17 , सरपंच ग्रम पंचायत हापावास से प्रमाणित पारिवारिक सजरा, जमाबन्दी साबिक सं. 2032 से 35 आदि दस्तावेज के एवं पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामे के प्रस्तुत किया था जिस पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.6.2016 पारित कर उपलब्ध दस्तावेज , रिकार्ड एवं राजीनामा प्रपत्र के अनुसार ग्रम बन्दडी तहसील नांगल राजावतान के खसरा नम्बर 44, 87, 115, 116, 145, 174, 179, 194, 196, 205, 206, 212, 243/382, 261, 288, 300, 301, 302, 305, 332 कुल किता 20 कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर में से प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/5, प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/5 , प्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/5 प्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 का हिस्सा 1/5 एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का हिस्सा 1/5 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि यह अपील मियाद बाहर है तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं होने से सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में मृतक खातेदार छीतर की विरासत का नामांतरकरण रामनिवास, मूल्या, रेवड्या, प्रभात्या पि. छीतर व भजन्या, बसन्ता, घीस्या पि. सुखपाल पुत्र छीतर के नाम ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया था , लेकिन हिस्सा दर्ज नहीं करने पर मूल्या वगैहरा के प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.6.2016 पारित कर उपलब्ध दस्तावेज , रिकार्ड एवं राजीनामा प्रपत्र के अनुसार ग्रम बन्दडी तहसील नांगल राजावतान के खसरा नम्बर 44, 87, 115, 116, 145, 174, 179, 194, 196, 205, 206, 212, 243/382, 261, 288, 300, 301, 302, 305, 332 कुल किता 20 कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर में से प्रार्थी संख्या 1 मूल्या पुत्र छीतर का हिस्सा 1/5, प्रार्थी संख्या 2 रेवड्या पुत्र छीतर का हिस्सा 1/5 , प्रार्थी संख्या 3 प्रभात्या पुत्र छीतर का हिस्सा 1/5 प्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 भगवान सहाय, जोहरी लाल, रामफूल पुत्रान रामनिवास पुत्र छीतर का हिस्सा 1/5 एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 भजन्या, बसन्ता, घीस्या पुत्रान सुखपाल पुत्र छीतर का हिस्सा 1/5 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं । अपीलान्ट की यह आपत्ति कि उसे नोटिस तामिल कराये बिना व सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है , उचित नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामें पर अपीलीलान्ट्स संख्या 1 व 3 भजन्या व घीस्या के हस्ताक्षर है एवं अपीलान्ट संख्या 3 बसन्ता की अंगूठा निशानी अंकित है । अपीलान्ट की दूसरी आपत्ति कि उनके द्वारा कोई राजीनामा नहींकिया तथा न ही राजीनामा पर उनके हस्ताक्षर है । अपीलान्ट्स के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी कर फर्जी आई.डी बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है , के संबंध में हमारा मत है कि इस संबंध में अपीलान्ट्स को सक्षम न्यायालय /स्तर पर पृथक से कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि राजस्व न्यायालय इस हेतु सक्षम न्यायालय नहीं है । अपीलान्ट्स की तृतीय आपत्ति कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 6 भगवान सहाय, जौहरी लाल, रामफूल पुत्रान रामनिवास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय खातेदार अंकित नहीं थे इसलिये धारा 136 एल.आर.एक्ट का केस चल रहीं सकता था । इस संबंध में रेस्पोंडेन्ट 4 से 6 के पिता रामनिवास राजस्व अभिलेख में अभिलिखित थे एवं उनके देहान्त के बाद उनके वारिस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट संख्या 4 से 6 अंकित है एवं राजीनामें पर रामफूल व भगवान सहाय के हस्ताक्षर भी अंकित है तथा राजीनामें के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित हुआ है, इसलिये यह आपत्ति निराधार है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि मृतक खातेदार छीतर के वारिसान अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 से 6 के नाम तस्दीक नामांतरकरण में उनका हिस्सा मूल्या वगैहरा के प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामें के आधार पर

अपीलाधीन आदेश से तय कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये गये है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं एवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर